

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2025/8025

प्रार्थीगण

1 पदमाराम 2 रेखाराम  
3 नगाराम 4 रावताराम  
5 चुनाराम 6  
आईदानराम 7 उमाराम  
पिसरान रूगाराम जाति  
जाट निवासी हरखाली  
तहसील बाटाडू जिला  
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 29/08/2025

1 खेताराम पुत्र कानाराम 2 जेठाराम पुत्र खेमाराम 3  
जोगाराम पुत्र कानाराम 4 पूर्णाराम पुत्र हेराजाराम 5  
बुलाराम 6 चौखाराम 7 जगमालराम 8 मुकनाराम  
पिसरान मेधाराम 9 केसाराम पुत्र राजूराम 10  
खेमाराम पुत्र लाधाराम 11 गुणेशाराम पुत्र राजूराम 12  
तेजाराम 13 देवाराम पुत्र पेमाराम 14 नवलाराम पुत्र  
राजूराम 15 मेगाराम पुत्र चैनाराम 16 मालुदेवी पत्नि  
पेमाराम 17 देवाराम पुत्र खींयाराम 18 गोमाराम पुत्र  
मोटाराम जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बाटाडू  
जिला बाड़मेर। 19 तहसीलदार बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 217/2025

दिनांक- 14/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरखाली पटवार हल्का हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के

खेत खसरा संख्या 723/663 रकबा 2.9124 हैक्टेयर व खसरा संख्या 732/668 रकबा 10.6788  
हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू  
को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण  
को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/-  
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया  
जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 29/08/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/8026-8029

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हरखाली तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण पदमाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बाटाडू जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बाटाडू जिला  
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर